भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1250

जिसका उत्तर 09.02.2023 को दिया जाना है

सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का विकास

1250. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

श्री घनश्याम सिंह लोधी:

श्री सुनील कुमार पिन्टू

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के सभी जिलों को केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो सीतामढ़ी और सोनीपत जिलों सहित तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों सहित देश में सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सीआरआईएफ के तहत वित्तीय सहायता राज्यवार जारी की जाती है न कि जिलेवार। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा राज्यों में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरआईएफ के तहत राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधि के प्रोद्भवन/आवंटन और रिलीज की गई धनराशि/व्यय का विवरण अनुबंध में दिया गया है। मंत्रालय मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए राज्यवार निधि आवंटित करता है न कि जिलेवार।

(ग) मंत्रालय ने 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 60,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के मंत्रालय के विजन के तहत अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 13,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की परिकल्पना की है। हालांकि, अभी तक इसके लिए राज्यवार लक्ष्य तय नहीं किया गया है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लक्ष्य अभी तय नहीं किए गए हैं।

अनुबंध

"सीआरआईएफ के तहत सड़कों का विकास" के संबंध में श्री रमेश चंदर कौशिक, श्री घनश्याम सिंह लोधी, श्री सुनील कुमार पिंटू द्वारा पूछे गए दिनांक 09.02.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या 1250 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरआईएफ के तहत प्रोद्भवन/निधि के आवंटन और जारी की गई धनराशि/व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (31.12.2022 तक)	
	प्रोद्भवन	रिलीज*	प्रोद्भवन	रिलीज *	प्रोद्भन	रिलीज *	प्रोद्भन	रिलीज
बिहार	210.35	223.16	195.3	425.93	201.16	447.06	243.03	205.35
हरियाणा	185.1	200.77	167.73	78.54	177.05	163.71	212.19	0.00
उत्तर प्रदेश	624.31	541.09	582.69	576.36	616.59	616.29	753.78	636.91

* उस राज्य के पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से राज्य के प्रोद्भवन से अधिक धनराशि जारी की गई है।

*****